उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 की अवधि में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए कारीगर-प्रधान और लघु एककों की संख्या दर्शाते हुए वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये एककों की संख्या
1980-81	1,77,532
1981-82	2,40,612
1982-83	2,96,125
1983-84	2,78,383

इससे यह दिखाई देता है कि स्थापित किये गये एककों की संख्या में 1983-84 में थोड़ी कमी होने के अलावा ऐसे एककों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है ।

जहां तक खादी और ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन और रोजगार बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी हैं तथा खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादकों को "न लाभ न हानि" के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमाणीकरण नियमों के अनुसार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

(ख) सहायक उद्योग सरकार द्वारा स्थापित न किये जाकर, बड़े उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्रफल द्वारा स्थापित किये जाते हैं । तथापि, सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ।

(ग) औद्योगिक बस्तियों के निर्माण की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो इस प्रकार के एककों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करते हैं । इसके अलावा देश भर में बड़े लघु उद्योग सेवा संस्थानों में उप-संविदा कार्यालय भी स्थापित किये गये है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित अनुषंगीकरण और उप संविदा के संवर्द्धन में लगे एककों की सहायता करेंगे । जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों के लिए भी तकनीकी परामर्श सेवाओं सहित अनेक सुविधायें देते है ।

दादरी स्थित भारतीय सीमेंट निगम के पी० पी० सी० बनाने वाले कारखाने के लाइसेंस का रद्द किया जाना

2224. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दादरी स्थित भारतीय सीमेंट निगम के पी० पी० सी० बनाने वाले कारखाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और अब तक इस पी० पी० सी० सीमेंट बनाने वाले कारखाने का लाइसेंस कितनी बार रद्द किया गया है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के चर्खी दादरी एकक का उत्पादन लाइसेंस (औद्योगिक लाइसेंस) रद्द नहीं किया गया है । किन्तु जब पी० पी० सी० हेतु स्वयं प्रमाणीकरण चिन्ह के लिए एकक का लाइसेंस वार्षिक समीक्षा के लिए प्राप्त हुआ तब भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) ने इस पर विचार करना जुलाई, 1985 तक के लिए आस्थगित कर दिया था क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बदरपुर एकक से प्राप्त किया जा रहा फलाई ऐश घटिया पाया गया था । इस एकक के मामले में इस प्रकार का यह पहला अवसर है ।

उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से एकक का विचार दिल्ली थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त फलाई ऐश अथवा जली हुई चाइना क्ले प्रयोग में लाने का है । इस समय यह एकक साधारण कोटि का (ऑर्डिनरी) पोर्टलैण्ड सीमेंट बना रहा है ।

सीमेंट की फैक्ट्रियों में क्लिंकर का स्टाक

2225. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकलतारा, मांढर और नया गांव में कार्य कर रही भारतीय सीमेंट निगम की सीमेंट फैक्टरियों ने चालू वर्ष के दौरान अपने-अपने स्टाक रजिस्टरों में क्लिंकरों का कितना-कितना स्टाक दर्शाया है ; और

(ख) क्या उपरोक्त फैक्टरियों में से किसी फैक्टरी का स्टाक रजिस्टर में क्लिंकर का स्टाक उनमें दर्शाये गये स्टाक से कम पाया गया है, यदि हां, तो उस फैक्ट्री का नाम क्या है तथा गलत स्टाक पोजीशन दर्शाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) स्टाक रजिस्टरों के अनुसार 30 जून, 1985 को क्लिंकर की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

1. मांढर 931.00 मी० टन
2. अकलतारा 54,648.164 मी० टन
3. नयागांव 28,356.27 मी० टन

(ख) निगम की अकलतारा सीमेंट फैक्टरी में वही के आंकड़ों की तुलना में क्लिंकर की मात्रा में कुछ कमी होने की जानकारी मिली थी । सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा जुलाई, 1985 में गठित एक बहु उपयोगी तकनीकी लेखा परीक्षा दल से इस मामले की जांच करने को कहा गया है । इस स्थिति में फैक्टरी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Newsprint production

2226. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what was the total requirement of Newsprint during the last three years and the quantum of indigenous production;

(b) whether Government propose to increase the production of newsprint in the country to meet the shortage, if any;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) whether the country is likely to become self-reliant in the matter of newsprint production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) The requirement of Newsprint in the last three years; and the indigenous production is as follows:

(in tonnes)

Years	Requirement	Indigenous Production
1982-83	3,60,000	1,18,910
1983-84	3,50,000	1,76,398
1984-85	3,85,000	2,00,547

(b) to (d) The production of Newsprint in the country during 1985-86 is expected to reach a level of 2.50 lakhs tonnes. Besides the present installed capacity of 2.80 lakh tonnes, an additional capacity of 7.50 lakh tonnes has been approved by way of Industrial Licences/Letters of Intent and these are under various stages of implementation.